...ion Recognition Certificate generated and downloaded from Education Portal [www.educationportal.mp.gov.in]

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) दे खए)

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

कार्यालय, जिला शक्षा अ धकारी (REWA), मध्यप्रदेश

दूरभाष:- फैक्स: ई-मेल:

क्रमांक: स्कूल आई.डी. - 14084202//0362

दिनांक:- 01/04/2017

प्रति,

प्रबंधक,

(MOUNT LITERA ZEE SCHOOL)

वषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार नियम,2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 09/10/2016 तथा इस संबंध में स्कूल से पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल -MOUNT LITERA ZEE SCHOOL, NEAR AJAGARHA BYPASS, BEHIND GOKUL DHAAM HARIHARPUR REWA (M.P.) को कक्षा Nursery से कक्षा 8 तक के लए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2020 तक कालाव ध के लए मान्यता प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्न ल खत शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगीः-

- मान्यता वस्तारित नहीं होगी तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यता/संबद्धता की कोई बाध्यता कसी भी रूप में वव क्षत नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार अ धनियम, 2009 (उपाबंध 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शक्षा का अ धकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल, अपने पड़ोस की सीमा के वं चत समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों को कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दशा में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसमें प्रवे षत बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारं भक शक्षा देगा जिस रूप में उसके वा र्षक आवर्ती व्यय को पूरा करने हेतु उस प्रकार वा र्षक आवर्ती सहायता या अनुदान प्राप्त होता है कंतु यह न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन होगा बशर्ते क जहां स्कूल पूर्व स्कूल (प्र स्कूल) शक्षा दी जाती है वहां अ धनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध प्रस्कूल में प्रवेश के लए लागू होंगे।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लए स्कूल को अ धनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लए स्कूल को पृथक् से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कै पटेशन फीस का संग्रह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अ भभावक के साथ कसी छानबीन प्र क्रया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल कसी भी बालक को प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा-
  - (क) आयु के सबूत के अभाव में;
  - (ख) यदि प्रवेश के लए व हित की गई वस्तारित कालाव ध के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
  - (ग) धर्म, जाति या मूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से कसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा क-
  - कसी स्कूल में प्रार भक शक्षा पूर्ण होने तक कसी भी बालक को कसी कक्षा में रोका या निष्का सत नहीं कया जाएगा;
  - कसी बालक को शारीरिक या मान सक रूप से प्रता ड़त नही कया जाएगा;
  - प्रारं भक शक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
  - नियम 19 के अधीन प्रारं भक शक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
  - अ धनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/वशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाहित कया जाएगा;
  - अ धनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्ते क वर्तमान में कार्यरत जो शक्षक इस अ धनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अ धनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अव ध में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी ;
  - शक्षकों को अ धनियम की धारा 24(1) के अधीन व निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा;
  - प्रायवेट टी चंग की गति व धयों में शक्षक स्वयं भाग नही लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समु चत प्रा धकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।
- अ धनियम की धारा 19 में व हित कए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सु वधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन कया जाएगा।

Principal
Mount Litera Zee School
Rewa (M.P.)
1/17

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL REWA (M.P.)

Principal
Mount Litera Zee School
Rewa (M.P.)

Chairman
Mount Litera Zee School
Rewa (M.P.)

Scanned with CamScanner

स्कूल व्दारा अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट स्कूल के मानक एवं मापदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिम निरीक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार पाई गयीं:-

	सुविधाएँ	पोर्टल मे दर्ज	वास्तविक स्थिति
8	स्कूल के भवन की स्थिति	कराए का भवन	कराए का भवन
9	स्कूल का कुल क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	130680	130680
10	स्कूल का निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	11296	11296
11	खेल मैदान का क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)	119384	119384

ङ. अधोसंरचना का विवरण

	कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल मे दर्ज संख्या	पोर्टल मे दर्ज औसत आकार (वर्ग फीट में)	वास्तविक स्थिति संख्या	वास्तविक स्थिति औसत आकार (वर्ग फीट में)
1	कक्षा आठवीं तक उपयोग में आ रहे कक्षा कक्ष		17	360	17	360
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष		2	400	2	400
3	भोजनालय-सह-भण्डार		1	144	1	144

च. अन्य सुविधाएँ

	अन्य सुविधाएँ	पोर्टल मे दर्ज	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित है हां/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूद एवं खेल उपकरण (हस्ताक्षरित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	1000	563
5	पत्रिकाएं/समाचार पत्र	3	2
6	पेयजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पेयजल सुविधा की संख्या	2	2
8	शौचालय का प्रकार (भारतीय/पश्चिमी/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	3	3
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	3	3
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	2	0
12	क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हां/नहीं	हाँ	हाँ

- लेखे संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्टर्ड एकाउन्टेंट व्दारा सत्यापित होंगे और उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का मान्यता कोड नम्बर..14084202.. एवं डाईसकोड (DISE) 23140201305 है। इस कार्यालय के साथ पत्राचार में यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल व्दारा प्रस्तुत की जाएगी, जो राज्य शिक्षा केन्द्र/जिला शिक्षा अधिकारी व्दारा समय-समय पर अपेक्षित की जाए, और स्कूल राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेषों का पालन करेगा, जैसा कि स्कूल के संचालन की कमियों को दूर करने के लिए अथवा मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जारी किए जाएं।
- सोसायटी/न्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाबंध "तीन" के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपबंधों और मान्यता की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर मान्यता वापस ले ली जाएगी।

Principal
Mount Litera Zee School
Rewa (M.P.)

MOUNT LITERA ZEE SCHOOL REWA (M.P.)

भवदीय,
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला REWA जिला रीवा मध्यप्रदेश

Chairman
Mount Litera Zee School
Rewa (M.P.)

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ 37–2/2020/20–3 भोपाल, दिनांक 31/12/2020

//परिपत्र//

विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 21.05.2020 द्वारा ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है, उन्हें मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रक्रिया से छूट प्रदान प्रदान करते हुए विद्यालयों की मान्यता दिनांक 31 मार्च 2021 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया गया था।

2/ राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक/राशिके/आरटीई/2020/8225 दिनांक 14.12.2020 द्वारा शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों हेतु नवीन मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण हेतु एनआईसी के आरटीई पोर्टल पर दिनांक 18.12.2020 से 18.01.2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समय सीमा नियत की गई है।

3/ वर्तमान कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत अशासकीय संस्थाओं को होने वाली कठिनाईयों एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 21 मे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते है–

3.1 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के तहत प्रदेश मे संचालित ऐसे समस्त अशासकीय प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय को मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रचलित प्रक्रिया से छूट प्रदान करते हुए उक्त विद्यालयों की मान्यता नवीनीकरण को दिनांक 31 मार्च 2022 तक की समयावधि हेतु यथावत मान्य किया जाए।

3.2 शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए नवीन मान्यता एवं कक्षा वृद्धि हेतु जिन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आरटीई पोर्टल, एन.आई.सी. के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया गया है उनका निराकरण नियम में विहित प्रक्रिया अनुसार निराकृत किया जाए।

3.3 उपर्युक्तानुसार ऐसी समस्त संस्थाओं को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 मे वर्णित विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक मापदण्डों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

निर्देशानुसार समस्त संबंधितों द्वारा उक्त निर्देशों के पालन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।

31.12.20
(के.के.द्विवेदी)
उप सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Principal
Mount Litera Zee School
Rewa (M.P.)

Director
Mount Litera Zee School
Rewa (M.P.)

Scanned with CamScanner